

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

क्रमांक :-एफ.2(7047)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/ 03999/2018

जयपुर, दिनांक 25/10/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.स.	मेरिट न.	कार्मिक का नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	814	श्री मनीष कुमार गुप्ता	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, करौली	- RSMSSB, Junior Instructor (COPA) - RPSC, Vice Principal/Superintendent I.T.I Exam -2018
2	1029	श्री मोहम्मद रिजवान	कार्यालय उपनिदेशक अभियोजन, जोधपुर खण्ड, जोधपुर	RRVUNL, Assistant Engineer(IT)
3	2651	श्रीमती मधुर सिंह	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक- निम्बाहेडा, चित्तौड़गढ़	- RSMSSB, Junior Instructor (COPA) - RPSC, ACF & Forest Range Officer Grade-I Exam-2018
4	3046	श्री महेन्द्र कुमार महावर	कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गंगापुर सिटी	RSMSSB, Stenographer Exam-2018
5	673	श्री मोहित जोशी	कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली	- RSMSSB, Junior Instructor (COPA) - RPSC, Vice Principal/Superintendent I.T.I Exam -2018 - RPSC, ACF & Forest Range Officer Grade-I Exam-2018 - SSC, C.G.L. Exam-2018
6	W-26	श्री मोहम्मद आरिफ बैग	कार्यालय राजस्व न्यायालय, जिला कलक्टर, जालौर	RSMSSB, Stenographer Exam-2018
7	3135	श्री ललित गहरवार	कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मसूदा, अजमेर	RSMSSB, Junior Instructor (COPA)
8	3248	श्री मुकेश कुमार अटल	कार्यालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर	RSMSSB, Junior Instructor (COPA)
9	2412	श्री मोहम्मद हसीब	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पं.सं.-बांरा, बांरा	RSMSSB, Junior Instructor (COPA)
10	3755	श्री मनमोहन यादव	कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	- RPSC, RAS/RTS Exam-2018 - RPSC, Senior Teacher Gr.-II -2018
11	1443	श्री मनीष कुमार शर्मा	निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0	- RRVUNL, Assistant Engineer(IT) - RPSC, RAS/RTS Exam-2018 - RPSC, Vice Principal/Superintendent I.T.I Exam & Group Instructor - RSMSSB, Junior Instructor (COPA)
12	691	श्रीमती लक्षिता अग्रवाल	आयोजना (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	RSMSSB, Stenographer Exam-2018
13	238	श्री महेंद्र कुमार सोनी	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर	- RPSC, RAS/RTS Exam-2018 - RPSC, ACF & Forest Range Officer Grade-I Exam-2018

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

14	2338	श्री मोहन लाल तेली	कार्यालय एनालिस्ट-कम - प्रोग्रामर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति डूंगला जिला- चित्तौड़गढ़	• CEPTAM DRDO Govt. of India, Senior Technical Assistant-B • KVS, PGT(C.S.)
15	W-2	श्री लोकेन्द्र सिंह राठौड़	कार्यालय एनालिस्ट-कम - प्रोग्रामर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-बालेसर, जोधपुर	• KVS, PGT(C.S.) • UGC, NET Exam-2018 • Central University, Information Scientist • Agriculture University, Programme Assistant • IIT, GATE Exam

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(हंसराज यादव)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:- एफ.2(4057) / डी.ओ.आई. टी./संस्था / 14/ 04000/2018 जयपुर, दिनांक 25/10/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

अनामिका, सूचना सहायक ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। अनामिका, सूचना सहायक को ASSISTANT SUPERINTENDENT EXAM-2018(DSSSB) की प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(डॉ. हंसराज यादव)

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. अनामिका, सूचना सहायक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), जयपुर।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव